

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला-जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:-71/2022

उनवान

माणकचन्द पुत्र भागीरथ, जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

- 1/1. सन्तरा देवी पत्नी स्व0 माणकचन्द
- 1/2. बनवारीलाल पुत्र स्व0 माणकचन्द
- 1/3. गोकुल पुत्र स्व0 माणकचन्द
- 1/4. सुनील पुत्र स्व0 माणकचन्द
- 1/5. पूजा पुत्री स्व0 माणकचन्द
- 1/6. पिंकी पुत्री स्व0 माणकचन्द

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

-वादीगण-

बनाम

1. रामू पुत्र भागीरथ, जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. अमित पुत्र स्व0 सुरेश, जाति रैगर, निवासी मकान नम्बर 2094, गली नम्बर 17, प्रेम नगर, नई दिल्ली-8 (दौराने दावा नाम हजफ)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. एसबीबीजे बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. लालचन्द पुत्र बालूराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अ0 धारा 53 व 188 आर टी एक्ट

निर्णय

दिनांक :-27.01.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रजात प्रस्ताव सभी काशतकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि हाल खाता संख्या 460 में वर्णित खसरा नम्बर 4890


कनक जैन  
सहायक कलक्टर  
(फा0स्ट्रैक)  
चौमूं (जयपुर)



रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 6211 रकबा 2.46 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 2.75 है०  
वाक गाम खेजरोली पटवार हल्का खेजरोली ए, भू०अ०नि० क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमू,  
जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. अमित कुमार पुत्र सुरेश जाति रैगर सा० नई दिल्ली खातेदार को खसरा नम्बर 4890/3 रकबा 0.0240 है०, खसरा नम्बर 6211 रकबा 0.02000 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2240 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. माणकचन्द पुत्र भागीरथ जाति रैगर, सा० देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली को खसरा नम्बर 4890/2 रकबा 0.1330 है०, खसरा नम्बर 6211/3 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 6211/6 रकबा 0.79 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 1.2230 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रामु पुत्र भागीरथ जाति रैगर सा० देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली को खसरा नम्बर 4890/1 रकबा 0.1330 है०, खसरा नम्बर 6211/2 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 6211/4 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 6211/7 रकबा 0.51 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 1.2230 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. अमित कुमार पुत्र सुरेश हिस्सा 1/12 जाति रैगर सा० नई दिल्ली, माणकचन्द पुत्र भागीरथ हिस्सा 11/24 राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली, रामु पुत्र भागीरथ हिस्सा 11/24 राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली, जाति रैगर, सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 6211/5 रकबा 0.08 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। उक्त भूमि वर्तमान में अमित के स्थान पर वर्तमान पक्षकार लालचन्द पुत्र बालूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है जो कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
(फा० ट्रे०/मुख्यालय) चौमू  
चौमू, जयपुर

**डिक्री मुकदमा इब्तदाई**  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा०ट्रै०) चौमूं, जिला-जयपुर**  
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं०:-71/2022

**उनवान**

माणकचन्द पुत्र भागीरथ, जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

- 1/1. सन्तरा देवी पत्नी स्व० माणकचन्द
- 1/2. बनवारीलाल पुत्र स्व० माणकचन्द
- 1/3. गोकुल पुत्र स्व० माणकचन्द
- 1/4. सुनील पुत्र स्व० माणकचन्द
- 1/5. पूजा पुत्री स्व० माणकचन्द
- 1/6. पिंकी पुत्री स्व० माणकचन्द

समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर  
-वादीगण-

**बनाम**

1. रामू पुत्र भागीरथ, जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. अमित पुत्र स्व० सुरेश, जाति रैगर, निवासी मकान नम्बर 2094, गली नम्बर 17, प्रेम नगर, नई दिल्ली-8 (दौराने दावा नाम हजफ)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. एसबीबीजे बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
6. लालचन्द पुत्र बालूराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा**  
**अ० धारा 53 व 188 आर टी एक्ट**

मुकदमा नं०:-71/2022

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि हाल खाता संख्या 460 में वर्णित खसरा नम्बर 4890 रकबा 0.29 है०, खसरा नम्बर 6211 रकबा 2.46 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 2.75 है० वाके ग्राम खेजरोली पटवार हल्का खेजरोली ए, भू०अ०नि० क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर  
(फा०ट्रै०)  
चौमूं, (जयपुर)

1. अमित कुमार पुत्र सुरेश जाति रैगर सा० नई दिल्ली खातेदार को खसरा नम्बर 4890/3 रकबा 0.0240 है०, खसरा नम्बर 6211 रकबा 0.02000 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 0.2240 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. माणकचन्द पुत्र भागीरथ जाति रैगर, सा० देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली को खसरा नम्बर 4890/2 रकबा 0.1330 है०, खसरा नम्बर 6211/3 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 6211/6 रकबा 0.79 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 1.2230 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. रामु पुत्र भागीरथ जाति रैगर सा० देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली को खसरा नम्बर 4890/1 रकबा 0.1330 है०, खसरा नम्बर 6211/2 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 6211/4 रकबा 0.28 है०, खसरा नम्बर 6211/7 रकबा 0.51 है० कुल किता 4 का कुल रकबा 1.2230 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. अमित कुमार पुत्र सुरेश हिस्सा 1/12 जाति रैगर सा० नई दिल्ली, माणकचन्द पुत्र भागीरथ हिस्सा 11/24 राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली, रामु पुत्र भागीरथ हिस्सा 11/24 राहिन एसबीबीजे शाखा खेजरोली, जाति रैगर, सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 6211/5 रकबा 0.08 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। उक्त भूमि वर्तमान में अमित के स्थान पर वर्तमान पक्षकार लालचन्द पुत्र बालूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है जो कब्जे में रहेगी।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....  
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।  
बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत (.....)  
सहायक (.....)  
ओहदा (.....)  
चौमू (जयपुर)

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	2
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	2

मनी  
सहायक क्लर्क  
(फास्ट ट्रायल)  
चौमू (जयपुर)